न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 240/17
निर्णय दिनांक : 28.05.2018

1. रामदेव
2. भंवरलाल
3. सीताराम
4. जीवणराम

समस्त जाति कुमावत नि0 काचरोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम

बाबत दुरूस्त किये जाने प्रार्थीगण का हिस्सा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी ख0नं0 666 रकबा 27 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम श्यामनगर प0ह0 काचरोदा में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 160/542 हिस्सा है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण ने सहखातेदार रामेश्वर, कैलाश पुत्र भोरिया के हिस्सें 111/1084 में से 40/55 वां अर्थात् कुल रकबें का 222/2981 वां हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.2000 को क्रय कर लिया उस विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण सं0 1201 दिनांक 26.01.01 को स्वीकृत कर खातेदारी में इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जिसकी पालना में जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में उक्त नामान्तकरण सं0 1201 का अमल दरामद कर प्रार्थीगण को 222/2981 हिस्सें का खातेदार ओर दर्ज किया गया। इस प्रकार जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में किये गये इन्द्राज के अनुसार प्रार्थीगण क्रमशः 160/542 व 222/2981 हिस्सें के खातेदार रिकोर्डेड दर्ज किये गये व इसी अनुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। हल्का पटवारी ने जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 में दर्ज खातेदारी का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में किया गया जिसमें प्रार्थीगण के हिस्सें की खातेदारी 160/542 वां हिस्सा सही दर्ज कर दिया गया किन्तु 222/2981 वां हिस्सें में लिपिकीय त्रुटिवंश 26642/3231404 वां हिस्सा गलत दर्ज कर दिया जिसके कारण प्रार्थी के हिस्सें की आराजी रिकोर्ड में कम दर्ज हो गयी इस अनुसार हिस्सा हल्का पटवारी ने जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 में उक्त इन्द्राज यथावत् दर्ज कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के दोनों हिस्सों की आराजी का कुल योग जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में कुल हिस्सा 180/542 गणितीय जोड़ के अनुसार दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण मूल हिस्सा 160/542

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

+222/2981 का योग हिस्सें अनुसार करने पर 200/542 वां हिस्सा अंकित होना चाहिए इस प्रकार हल्का पटवारी की उक्त गणना गणितीय व लिपिकीय भूल है जिसको सुधा कर वास्तविक हिस्सा अंकित करने हेतु प्रार्थीगण ने दिनांक 06.12.17 को हल्का पटवारी व अप्रार्थी को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लाने हेतु कहा इस कारण प्रार्थी को यह प्रा0पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में अटल सेवा केन्द्र काचरोदा में पेश हुयी। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि खातेदार कैलाश पुत्र भौरिया व रामेश्वर पुत्र भौरिया के हि0 71/2168 के स्थान पर व 71/216 के स्थान पर 31/2168 व 31/2168 तथा रामदेव, भंवरलाल, सीताराम, जीवणराम पि0 सुवालाल के दर्ज हिस्सा 180/542 के स्थान पर 200/542 इन्द्राज दुरूस्त किया जाना उचित है रामेश्वर पुत्र भौरिया के रहन दर्ज हिस्सा 71/2168 के स्थान पर रहन दर्ज हिस्सा 31/2168 ही रहेगा अतः रिकोर्ड व अवलोकन बाद दुरूस्ती किया जाना उचित है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें अप्रार्थी को इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में प्रार्थीगण का दर्ज हिस्सा 180/542 को दुरूस्त कर 200/542 वां हिस्सा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार फुलेरा को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 28.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प काचरोदा में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साम्भर लेक

उपखण्ड अधिकारी
साम्भर लेक

Scanned by CamScanner